तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.1.24	पत्रावली पेश हुई. वकील वादी उपस्थित. वकील वादी से बहस करनी चाही। वकील वादी की बहस सुनी गयी. बहस के दौरान वकील वादी ने अपने वाद पत्र मे अंकित तथ्यो, दस्तावेजो के आधार पर वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी की बहस पर मनन किया। विवादित आराजियात ग्राम बागोर पटवार हल्का बागोर I तहसील माण्डल में स्थित होकर वादी का नाम शर्मो पुत्र हजारी माली साकिन देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत 2075-2078 से होती है। वादी ने अपना नाम शर्मो न होकर नारायण लाल होना अंकित किया है जिसकी ताईद मे आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड एवं अन्य जमाबंदी संवत 2075-2078 के खाता सं. 189 आदि की फोटो प्रति से होती है। जिसमे वादी का नाम नारायणलाल पिता हजारी माली है। उसी अनुसार प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड मे भी शर्मा के बजाय नारायणलाल पिता श्री हजारी माली दर्ज कराना चाहता है. इस बाबत तहसीलदार माण्डल व पटवार हल्का पटवारी बागोर ने भी शर्मो के बजाय नारायण लाल किये जाने मे न्याय संगत बताया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं, अत: :: आदेश :: वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 R.T.A. तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम बागोर प्रथम पटवार हल्का बागोर प्रथम तहसील माण्डल मे स्थित खाता सं. 466 मे अंकित आराजी नम्बर 3075 रकबा 0.1112 हैक्टेयर भूमि मे अंकित राजस्व रिकॉर्ड मे वादी का	

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	नाम धर्मा के बजाय नारायण लाल पिता हजारी माली राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार माण्डल उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
	उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा

डिक्री

(आ0 20 नियम 6 / जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

वईजलास श्री हुकमीचन्द रोहलानिया (आर0ए0एस0)

अनवान प्रकरण

श्री नारायण लाल पुत्र श्री हजारी माली निवासी-बागोर तहसील-माण्डल

वादी

बनाम

श्री राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा० माण्डल तहसील-माण्डल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 मुकदमा नं0 / वर्ष 54/22 निर्णय दिनांक 12-01-24

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरुप अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व श्री श्यामलाल रेगर Adv. मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बागोर प्रथम पटवार हल्का बागोर प्रथम तहसील माण्डल मे स्थित खाता संख्या 466 मे अंकित आराजी नम्बर 3075 रकबा 0.1012 हैक्टेयर भूमि मे अंकित राजस्व रिकॉर्ड मे वादी का नाम धर्मा के बजाय नारायण लाल पिता हजारी माली राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार माण्डल राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे।

आज तारीख 12-01-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा